(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सेवारत अधिकारियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित करके अभिजात भारतीय पुलिस सेवा स्तर के 490 अधिकारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक प्रख्यात अल्पसंख्यक संगठन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में इस भर्ती नीति को चुनौती दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) और (ख) : भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती कोटा में विद्यमान कमी को दूर करने के लिए, सात वर्षों की अवधि में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लगभग 490 पदों को भरने के लिए इस मंत्रालय ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था । सीमित प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी प्रस्ताव/योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ में 2 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित कर दी गई है । राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को भी इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र बनाया गया है ।**

**(ग) और (घ) : नई दिल्ली में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के विरुद्ध एक रिट याचिका संख्या 1610/2012 (जकत फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाली) दायर की गई है । सरकार ने मामले का प्रतिवाद किया है । इस मामले में निर्णय प्रतीक्षित है ।**